[2018] 1 एस. सी. आर 1085

अखिलेश सिंह @अखिलेश्वर सिंह

वी.

लाल बाबू सिंह और हमारा।

(2018 की सिविल अपील संख्या 2108)

फरवरी 21,2018

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

या. एलएक्सआई, आर. 2 परंतुक और आर. 27 - अतिरिक्त साक्ष्य-अपीलीय न्यायालय में-स्वीकार किया गया और साथ ही निर्णय

मुख्य मामले में घोषित, विरोधी पक्ष को खंडन में साक्ष्य का नेतृत्व करने या व्याख्या करने का अवसर दिए बिना-आयोजितः प्रोविसो से आर। 2 एल. एक्स. आई. आदेश प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष खेल के नियम को शामिल करता है, यह प्रावधान करके कि अदालत चुनाव लड़ने वाले पक्ष को पर्याप्त अवसर देने के लिए बाध्य है, यदि कोई नया आधार दिया जाता है, जो चुनाव लड़ने वाले पक्ष को प्रभावित कर सकता है-वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय (अपीलीय न्यायालय) न्याय के हित में,

अपील में प्रत्यर्थियों को या तो खंडन में साक्ष्य का नेतृत्व करने या उच्च न्यायालय को प्रेषित अतिरिक्त दस्तावेजों में कथित प्रवेश की व्याख्या करने का अवसर देने के लिए बाध्य था।

विरोध पक्ष को खंडन में साक्ष्य का नेतृत्व करने का अवसर देने के बाद अपील पर नए सिरे से निर्णय लें-प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. सी. पी. सी. का आदेश एल. एक्स. आई., नियम 27, जो अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य के प्रावधान से संबंधित है

उन आधारों और परिस्थितियों के लिए प्रावधान करता है जिन पर अपीलीय न्यायालय ऐसे साक्ष्य या दस्तावेजों की अनुमति दे सकता है या गवाहों से पूछताछ की जाए। आदेश एल. एक्स. आई., नियम 27 उप-नियम (2) में आगे यह प्रावधान किया गया है कि जहां भी किसी अपीलीय न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति दी जाती है, अदालत अपने स्वीकार करने का कारण दर्ज करेगी। आदेश एल. एक्स. आई., नियम 27 अतिरिक्त साक्ष्य को स्वीकार करने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में चुप है। क्या अतिरिक्त साक्ष्य को स्वीकार करने के बाद, अपीलीय न्यायालय के लिए अनुदान देना आवश्यक है

दूसरे पक्ष को खंडन में साक्ष्य का नेतृत्व करने का अवसर या

आदेश एलएक्सआई, नियम 27 में स्पष्ट रूप से कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। [पैरा 11] [1092-ए-सी]

2. आदेश एल. एक्स. आई., नियम 2 सी. पी. सी. में प्रावधान है कि अपीलार्थी को, अदालत की अनुमति के अलावा, अपील में किसी भी आधार का आग्रह करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो अपील के ज्ञापन में निर्धारित नहीं है। आदेश एल. एक्स. आई., नियम 2 के प्रावधान में एक नियम शामिल है, जो न्यायालय को चुनाव लड़ने वाले पक्ष को पर्याप्त अवसर देने के लिए बाध्य करता है, यदि किसी अन्य पक्ष द्वारा किसी नए आधार का आग्रह करने की अनुमति दी जाती है, जो चुनाव लड़ने वाले पक्ष को प्रभावित कर सकता है। यह प्रावधान प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के नियम को शामिल करता है कि चुनाव लड़ने वाले पक्ष को किसी भी नए आधार को पूरा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। जब अपीलीय न्यायालय आदेश एलएक्सआई, नियम 27 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य को स्वीकार करता है, तो चुनाव लड़ने वाले पक्ष को अवसर देने के उसी पाठ्यक्रम का पालन नहीं करने का कोई कारण नहीं है, जो अतिरिक्त साक्ष्य की स्वीकृति से प्रभावित हो सकता है। [पैरा 13] [1092-एफ जी]

3. वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड पर लाए गए अतिरिक्त साक्ष्य पंजीकृत बिक्री विलेख थे, जो थे -

वर्तमान अपीलार्थी और उसके अन्य सह-भागीदारों द्वारा निष्पादित किया गया और क्या

4. केवल यह तथ्य कि आई. ए. को कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया था, निर्णायक नहीं था। चूंकि आई. ए. को भर्ती नहीं किया गया है, इससे पहले किसी भी समय जवाबी हलफनामे का अवसर नहीं आया था। उच्च न्यायालय ने उसी दिन आई. ए. के साथ-साथ पहली अपील को भी मंजूरी दे दी है। यह तथ्य कि प्रथम अपील के लिए प्रतिवादियों का विरोध करने वालों का प्रतिनिधित्व प्रथम अपील की सुनवाई के समय नहीं किया गया था, उन्हें खंडन में साक्ष्य देने का अवसर नहीं देने का कारण नहीं था।

[पैरा 13] [1093-सी-डी] अखिलेश सिंह @अखिलेश्वर सिंह बनाम। लाल बाबू सिंह और हमारा।

5. के लिए विद्वान वकील का प्रस्तुतिकरण

प्रवेश। बिक्री विलेखों में निहित प्रवेश की व्याख्या करने का अवसर चुनाव लड़ने वाले पक्ष को दिया जाना आवश्यक था। वर्तमान मामले के तथ्यों में। उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करने के बाद अपील की सुनवाई के साथ-साथ आगे बढ़ने में गलती की। उच्च न्यायालय को पहली अपील में प्रतिवाद करने वाले प्रत्यर्थियों को खंडन में साक्ष्य देने या बिक्री विलेख में निहित कथित स्वीकारोक्ति की व्याख्या करने का अवसर देना चाहिए था, जो नहीं किए जाने के बाद, उच्च न्यायालय का आदेश और निर्णय रद्द किए जाने के योग्य है। [पैरा 16] [1095-ए-सी]

भूमि अधिग्रहण अधिकारी, नगर सुधार न्यास बोर्ड वी. एच. नारायणैया और अन्य। (1976) 4 एस. सी. सी 9: [1977] 1

एस. सी. आर. 178; शालीमार केमिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम। सुरेंद्र

तेल और डल मिल्स (रिफाइनरी) और अन्य। (2010) 8 एससीसी

423 [2010] 10 एससीआर 703-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

[1977] 1 एससीआर 178

उस पर भरोसा करें

पै

रा 14

[2010] 10 एससीआर 703

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2108

2018 से।

उच्च न्यायालय के 08.03.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

1976 की प्रथम अपील No.704 में पटना में न्यायिक कार्य।

मोनी सिनमॉय, अरविंद के. पांडे, राकेश के. सिंह, अशोक आनंद,

उपस्थित पक्षों के लिए अधिवक्ता।

18] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे. 1. यह अपील पटना उच्च न्यायालय के प्रथम अपील सं. 704/1976 में दिनांकित 08.03.2017 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसके द्वारा प्रतिवादियों द्वारा मुकदमे में दायर पहली अपील को विभाजन मुकदमे का आदेश देने वाले निचली अदालत के फैसले और डिक्री को रद्द करने की अनुमति दी गई है।

2. इस अपील पर निर्णय लेने के लिए मामले के जिन संक्षिप्त तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वे हैं:

शीओ प्रसाद सिंह (हमारे सामने अपीलार्थी के दादा) और उनके तीन बेटों ने शिकायत की अनुसूची बी, सी और डी में वर्णित संयुक्त पारिवारिक संपत्तियों में अपने एक चौथाई हिस्से के विभाजन की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया था। वाद-पत्र में यह दलील दी गई थी कि वादी और प्रतिवादी एक समान पूर्वज के वंशज हैं। कल्पू सिंह के चार बेटे थे। वादी ने शिव प्रसाद सिंह की शाखा का प्रतिनिधित्व किया जबकि प्रतिवादियों ने अन्य तीन शाखाओं का प्रतिनिधित्व किया।

यह दलील दी गई थी कि 1963 में या उसके आसपास संयुक्त परिवार में व्यवधान था। इसके बाद कल्पू सिंह की सभी शाखाएँ अलग हो गईं।

उनके भोजनालय, व्यवसाय और पूजा में लेकिन सांस्कृतिक भूमि और आवासीय घर संयुक्त रहे। संबंधित भूमि पर उत्परिवर्तन के लिए एक कार्यवाही से उत्पन्न पटना मंडल के आयुक्त द्वारा पारित आदेश पर भी सवाल उठाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले और डिक्री दिनांक 10.08.1976 को देखा

अनुसूची बी, सी और डी में वर्णित संपत्तियों में वादी के एक चौथाई हिस्से की घोषणा करने वाले वादी के मुकदमे का आदेश दिया। प्रतिवादी लाल बाबू

सिंह और ओआरएस। निचली अदालत के फैसले और डिक्री के खिलाफ 1976 की पहली अपील संख्या 704 दायर की गई। प्रथम अपील के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी-प्रतिवादी, जो प्रथम अपील में अपीलकर्ता थे, ने आदेश एल. एक्स. आई. नियम 27 के तहत विभिन्न आवेदन दायर किए।

प्रथम अपील में अतिरिक्त साक्ष्य की स्वीकृति। ऑर्डर एलएक्सआई नियम 27 के तहत पहला आवेदन रिकॉर्ड पर 27.08.1992 दिनांकित बिक्री विलेख स्वीकार करने के लिए 27.10.1997 पर दायर किया गया था। अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करने के लिए दायर किए गए अन्य आवेदन 1998 का आई. ए. सं. 6457,2011 का आई. ए. सं. 3731 और 2016 का आई. ए. सं. 5195 थे। उच्च न्यायालय ने पारित किया है

आई. ए. पर आदेश कि अपील की सुनवाई के समय आवेदनों की सुनवाई की जाएगी। पहली अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा 08.03.2017 पर की गई। सुनवाई के समय, दुर्भाग्य से, कोई भी उपस्थित नहीं हुआ अपीलार्थी की ओर से, जो प्रथम अपील में प्रत्यर्थी था। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों के विद्वान वकील-प्रतिवादी अखिलेश सिंह @अखिलेश्वर सिंह बनाम को सुनने के बाद।

लाल बाबू सिंह और हमारा। [अशोक भूषण, जे।]

1998 का आई. ए. सं. 6457,2011 का आई. ए. सं. 3731 और 2016 का आई. ए. सं. 5195 को अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करके अनुमति दी गई, जिसे अभिलेख पर लाने की मांग की गई थी। साथ ही, उच्च न्यायालय अपील की सुनवाई के साथ आगे बढ़ा और अतिरिक्त साक्ष्य पर भरोसा करते हुए अनुमति दी

निचली अदालत के फैसले और डिक्री को दरकिनार करते हुए पहली अपील। उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित अपीलार्थी इस अपील में आया है। 3. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि यदि उच्च न्यायालय ने आदेश XLI के तहत अतिरिक्त साक्ष्य को स्वीकार करने का निर्णय लिया है

वादी ने प्रक्रिया की गंभीर त्रुटि की है, जिसने अपीलार्थी को प्रस्तुत करने के लिए बहुत पूर्वाग्रह पैदा किया है जो पूरे निर्णय को दूषित कर रहा है उच्च न्यायालय। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त साक्ष्य में अपीलार्थी और अन्य सह-भागीदारों द्वारा कुछ स्वीकारों पर भरोसा किया है, जबकि अपीलार्थी को न्यायालय द्वारा खंडन में साक्ष्य का नेतृत्व करने और प्रतिवादियों-प्रतिवादियों द्वारा भरोसा किए गए अतिरिक्त साक्ष्य की व्याख्या करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि खंडन में साक्ष्य का नेतृत्व करने का अवसर दिए बिना इस तरह के अतिरिक्त साक्ष्य पर निर्भरता ने उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई पूरी प्रक्रिया को दूषित कर दिया था, जिससे उच्च न्यायालय के निर्णय और डिक्री को दूषित कर दिया गया था।

4. अपीलार्थी के वकील के प्रस्तुत करने का खंडन करने वाले उत्तरदाताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि उच्च न्यायालय ने सही कहा है

अतिरिक्त साक्ष्य में निहित स्वीकारों पर भरोसा किया, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था, हालांकि संबंधित आई. ए. बहुत पहले दायर किए गए थे, लेकिन न तो आई. ए. को कोई जवाबी हलफनामा दिया गया था और न ही वादी अपीलार्थी द्वारा कभी कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार उच्च न्यायालय के पास इस आधार पर अपीलों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है - न्यायालय में स्वीकार किए गए अतिरिक्त साक्ष्य। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिन बिक्री विलेखों पर भरोसा किया गया था, उनका निष्पादन कभी विवादित नहीं था और न ही

बिक्री विलेखों में निहित बयानों को उच्च न्यायालय के समक्ष वादी अपीलार्थी द्वारा विवादित भी किया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य पर भरोसा करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। वह प्रस्तुत करता है कि उच्च न्यायालय ने स्वयं आदेश में ध्यान दिया है कि प्रतिवादी उत्तरदाताओं द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करने के लिए दायर आई. ए. पर वादी द्वारा जवाबी हलफनामा दायर करके कभी आपत्ति नहीं की गई थी।

18] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि वहाँ स्पष्ट हो रहा है

बिक्री विलेखों में प्रवेश, जिन्हें अभिलेख पर लाया गया था कि परिवार में विभाजन हुआ है, विभाजन के लिए वादी का मुकदमा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है।

6. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

7. निवेदन जिसे अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा हमारे समक्ष दबाया गया है जिसे उच्च न्यायालय को मंजूर करना चाहिए था

वादी-अपीलार्थियों को अवसर, जो पहली अपील में प्रतिवादी-अपीलार्थी द्वारा अनुरोध किए गए अतिरिक्त साक्ष्य को स्वीकार करने के बाद उच्च न्यायालय के समक्ष पहली अपील में प्रतिवादी थे; इस प्रकार हम केवल इस मुद्दे पर अपना विचार सीमित करते हैं।

8. रिकॉर्ड से पता चलता है कि अतिरिक्त सबूत, जिसकी मांग की गई थी

उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता प्रतिवादियों द्वारा रिकॉर्ड में लिए जाने वाले सभी सबूत थे, जो निचली अदालत के आदेश के बाद अस्तित्व में आए थे। आदेश के तहत दायर किए गए आवेदन

एल. एक्स. आई. नियम 27 सी. पी. सी. पर उच्च न्यायालय ने अपने फैसले के पैराग्राफ 22 से 25 में विचार किया है। 27.10.1997 दिनांकित आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है, आगे किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। फैसले के पैराग्राफ 23,24 और 25 में अन्य आई. ए. को संदर्भित करने के बाद, उच्च न्यायालय ने तीन आई. ए. को अनुमति दी, अर्थात् 1998 का आई. ए. नंबर 6457,2011 का आई. ए. नंबर 3731 और 2016 का आई. ए. नंबर 5195 और रिकॉर्ड पर लाए गए अतिरिक्त साक्ष्य पर भरोसा करते हुए और उक्त दस्तावेजों में प्रवेश का उल्लेख करते हुए, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले और डिक्री को दरकिनार करते हुए पहली अपील को अनुमति दी है। पैरा 26,30 और 31 में निम्नलिखित कहा गया हैः

" 26. यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि ये सभी दस्तावेज मुकदमे के दौरान उपलब्ध नहीं थे और इसके अलावा, ये दस्तावेज वादी के दस्तावेज हैं-उत्तरदाताओं और अपीलार्थियों को पहले कोई जानकारी नहीं थी। इस अपील के लंबित रहने के दौरान, इन दस्तावेजों को वादी-उत्तरदाताओं द्वारा निष्पादित किया गया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से चार शाखाओं यानी कल्पू सिंह के बेटों के बीच पिछले विभाजन को स्वीकार किया और यहां तक कि उन्होंने अपने बीच अंतर विभाजन को भी स्वीकार किया। यह बिक्री विलेख या शिकायत या आवेदन में उनका बयान नहीं है कि विभाजन मुकदमे के निपटारे के बाद विभाजन प्रभावित होता है। सभी बिक्री विलेखों में, आवेदन, वादी अखिलेश सिंह @अखिलेश्वर सिंह बनाम।

लाल बाबू सिंह और हमारा। [अशोक भूषण, जे।]

स्वयं पक्षकारों के बीच पिछले विभाजन को स्वीकार किया, अर्थात विभाजन के लिए वाद की स्थापना से पहले। अपीलकर्ताओं ने वर्ष 1958-59 में पिछले विभाजन का दावा किया जबकि वादी ने विभाजन के लिए उनके द्वारा दायर शिकायत में स्वीकार किया गया कि 1965 में पहले ही चार भाइयों के बीच विभाजन हो चुका था। इसलिए अब दोनों पक्षों के बीच केवल यह विवाद है कि विभाजन किस वर्ष हुआ था। यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि यह विभाजन मुकदमा वर्ष 1973 का है। इसलिए, चाहे विभाजन 1958-59 में हुआ था या वर्ष 1965 में, यह अप्रासंगिक है क्योंकि वर्तमान विभाजन मुकदमे से पहले ही पक्षों ने मुकदमे की संपत्ति का विभाजन कर दिया है।

30. मेरी उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं द्वारा दायर तीन आई. ए. को एतद्वारा अनुमति दी जाती है और ऊपर चर्चा किए गए साक्ष्यों के आधार पर, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलकर्ता यह साबित करने में सक्षम हैं कि जैसा कि प्रतिवादियों-अपीलकर्ताओं द्वारा दावा किया गया था, विभाजन पहले ही हो चुका था। पक्षों के बीच स्वामित्व और अधिकार की कोई एकता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि निचली अदालत ने ऊपर चर्चा किए गए साक्ष्यों की उचित रूप से सराहना नहीं की है।

और इसके अलावा, द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य

मुकदमे के दौरान अपीलार्थी अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, विद्वत विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को इसके द्वारा उलट दिया जाता है।

31. परिणामस्वरूप, इस पहली अपील की अनुमति दी जाती है। विवादित निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया जाता है। वादी-प्रतिवादी का

विभाजन के लिए मुकदमा इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

9. यह भी ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय ने पैरा 11 में अपने फैसले में कहा है कि आवेदनों पर सुनवाई करने का निर्देश दिया गया था

सुनवाई का समय और यद्यपि आई. ए. बहुत पहले दायर किया गया था और न ही कोई जवाबी हलफनामा या कोई जवाब दायर किया गया है और कोई भी अपीलार्थी के मामले का विरोध नहीं करता है।

10. जैसा कि ऊपर देखा गया है, उच्च न्यायालय ने आई. ए. को अनुमति देते हुए और अभिलेख पर अतिरिक्त साक्ष्य को स्वीकार करते हुए,

एक साथ निर्णय लें। इस अपील में जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाना है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय को ऐसा करने का अवसर देना चाहिए था -

प्रतिवादी-अपीलार्थी, जो पहली अपील में प्रतिवाद में साक्ष्य का नेतृत्व करने या कथित को समझाने का अवसर देने के लिए प्रतिवादी था। प्रवेश, जिन पर उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी-अपीलार्थी द्वारा भरोसा किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. सी. पी. सी. का आदेश एल. एक्स. आई. नियम 27, जो अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य के प्रावधान से संबंधित है, आधार प्रदान करता है और

जिन परिस्थितियों में अपीलीय न्यायालय ऐसे साक्ष्य या दस्तावेजों या गवाहों से पूछताछ करने की अनुमति दे सकता है। आदेश एल. एक्स. आई. नियम 27 उप नियम (2) में आगे यह प्रावधान किया गया है कि जहां भी किसी अपीलीय न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति दी जाती है, अदालत इसे स्वीकार करने का कारण दर्ज करेगी। आदेश एल. एक्स. आई. नियम 27 अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में चुप है। क्या अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करने के बाद, अपीलीय न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह दूसरे पक्ष को साक्ष्य देने का अवसर प्रदान करे आदेश एल. एक्स. आई. नियम 27 में स्पष्ट रूप से खंडन करने या कोई अवसर देने का प्रावधान नहीं है।

12. एक प्रावधान, जो आदेश एल. एक्स. आई. का हिस्सा है, जिस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है आदेश एल. एक्स. आई. नियम 2, जो इस प्रकार हैः

2. ऐसे आधार जिन्हें अपील में लिया जा सकता है। - अपीलार्थी

अदालत की अनुमति के अलावा, अपील के ज्ञापन में निर्धारित नहीं की गई आपत्ति के किसी भी आधार के समर्थन में आग्रह या सुनवाई नहीं की जाएगी; लेकिन अपील अदालत, अपील का निर्णय लेने में, अपील के ज्ञापन में निर्धारित या इस नियम के तहत अदालत की अनुमति से ली गई आपत्तियों के आधार तक सीमित नहीं होगीः बशर्ते कि न्यायालय अपने निर्णय को किसी अन्य आधार पर तब तक नहीं रोकेगा जब तक कि उस पक्ष को, जो इससे प्रभावित हो सकता है, उस आधार पर मामला लड़ने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला हो।

13. आदेश एल. एक्स. आई. नियम 2 में यह प्रावधान है कि अपीलार्थी इसके अलावा कुछ नहीं करेगा

अदालत की अनुमति से, अपील में किसी भी आधार का आग्रह करने की अनुमति दी जाए, जो अपील के ज्ञापन में निर्धारित नहीं है। आदेश एल. एक्स. आई. नियम 2 के प्रावधान में एक नियम शामिल है, जो अदालत को चुनाव लड़ने वाले पक्ष को पर्याप्त अवसर देने के लिए बाध्य करता है, यदि किसी अन्य पक्ष द्वारा किसी नए आधार का आग्रह करने की अनुमति दी जाती है, जो चुनाव लड़ने वाले पक्ष को प्रभावित कर सकता है। यह प्रावधान प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के नियम को शामिल करता है कि चुनाव लड़ने वाले पक्ष को किसी भी नए आधार को पूरा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। जब अपीलीय न्यायालय आदेश एल. एक्स. आई. नियम 27 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य को स्वीकार करता है, तो हम चुनाव लड़ने वाले पक्ष को अवसर देने के उसी पाठ्यक्रम का पालन नहीं करने का कोई कारण नहीं देखते हैं, जो अतिरिक्त साक्ष्य की स्वीकृति से प्रभावित हो सकता है। वर्तमान मामले में, अतिरिक्त साक्ष्य, जो रिकॉर्ड में लाए गए थे, वे पंजीकृत बिक्री विलेख थे, जिन्हें वर्तमान अपीलार्थी और उसके अन्य सह-भागीदारों और अखिलेश सिंह @अखिलेश्वर सिंह बनाम द्वारा निष्पादित किया गया था।

लाल बाबू सिंह और हमारा। [अशोक भूषण, जे।]

उच्च न्यायालय के समक्ष जो भरोसा किया गया था वह यह था कि अपीलार्थी ने बिक्री विलेखों में स्वीकार किया कि परिवार में विभाजन हुआ है। उच्च न्यायालय के समक्ष पहली अपील में मुख्य मुद्दा था -

क्या विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि मेट्स द्वारा कोई विभाजन नहीं है और

परिवार में हुई सीमाएँ सही हैं या नहीं। जिस अतिरिक्त साक्ष्य को स्वीकार किया गया था, उस पर उच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए भरोसा किया है। यह न्याय के हित में था कि उच्च न्यायालय को वादी, जो पहली अपील के प्रतिवादी थे, को या तो खंडन में साक्ष्य देने या कथित स्वीकारोक्ति की व्याख्या करने का अवसर देना चाहिए था, जैसा कि प्रतिवादियों द्वारा भरोसा किया गया था। केवल यह तथ्य कि आई. ए. को कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया था, निर्णायक नहीं था। चूंकि आई. ए. को भर्ती नहीं किया गया था, इसलिए इससे पहले किसी भी समय जवाबी हलफनामे का अवसर नहीं आया था। उसी दिन उच्च न्यायालय ने आई. ए. के साथ-साथ पहली अपील को भी अनुमति दी है। यह तथ्य कि प्रथम अपील के प्रति प्रतिवादियों को, जो हमारे समक्ष अपीलकर्ता हैं, प्रथम अपील की सुनवाई के समय प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था, उन्हें खंडन में साक्ष्य देने का अवसर नहीं देने का कारण नहीं था।

14. भूमि अधिग्रहण में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ

अधिकारी, सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बोर्ड बनाम एच. नारायणैया और अन्य। , (1976) 4 एस. सी. सी. 9 के पास अपीलीय न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करने के संदर्भ में आदेश एल. एक्स. आई. नियम 27 पर विचार करने का अवसर था। इस न्यायालय ने कहा था कि यदि उच्च न्यायालय एक अतिरिक्त साक्ष्य को स्वीकार करता है, तो दूसरे पक्ष को प्रमुख साक्ष्य द्वारा इसके अस्तित्व से उत्पन्न होने वाले किसी भी निष्कर्ष का खंडन करने का अवसर दिया जाना चाहिए था। निर्णय के पैरा 28 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" 28. हालाँकि, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इसका पालन नहीं किया था।

सी. पी. सी. के आदेश 41 नियम 27 के प्रावधान जिनके लिए आवश्यक है कि

अपीलीय न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि अतिरिक्त साक्ष्य है

इसे या तो निर्णय देने के लिए या किसी अन्य के लिए सक्षम करने के लिए आवश्यक है

हम सी. पी. सी. के नियम 27 आदेश 41 की आवश्यकताओं पर विचार करते हैं राय है कि उच्च न्यायालय को अपने कारण दर्ज करने चाहिए थे

यह दिखाने के लिए कि उसने इस तरह के साक्ष्य को स्वीकार क्यों किया किसी महत्वपूर्ण कारण से आवश्यक। और अगर यह आवश्यक लगता है

इसे स्वीकार करने के लिए, एक अवसर दिया जाना चाहिए था

इसके अस्तित्व से उत्पन्न होने वाले किसी भी निष्कर्ष का खंडन करने के लिए अपीलार्थी अन्य सबूतों का नेतृत्व करना "।

(हमारे द्वारा प्रदान किया गया जोर)

18] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. इसी प्रभाव के लिए शालीमार केमिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम सुरेंद्र ऑयल के मामले में इस न्यायालय का एक और निर्णय है।

दल मिल्स (रिफाइनरी) और अन्य। , (2010) 8 एससीसी 423। इस मामले में भी, न्यायालय को आदेश एलएक्सआई नियम 27 पर विचार करने का अवसर मिला था, इस न्यायालय ने फिर से निर्धारित किया है कि जब दस्तावेजों को अतिरिक्त साक्ष्य में लिया जाता है, तो दूसरे पक्ष को खंडन में साक्ष्य देने का अवसर दिया जाना चाहिए था। उपरोक्त मामले में भी, उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर अतिरिक्त साक्ष्य को स्वीकार करने के साथ-साथ अपील पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़े। पैराग्राफ 16 से 18 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" 16. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ट्रेडमार्क के पंजीकरण के मूल प्रमाणपत्रों को पेश करने के लिए अपीलार्थी की याचिका को उचित रूप से स्वीकार कर लिया क्योंकि यह केवल न्याय के हित में था और इसके लिए पर्याप्त वैधानिक आधार था आदेश 41 नियम 27 का खंड (ख)। लेकिन तब एकल न्यायाधीश ने अपील की अनुमति देने के लिए एक साथ कार्यवाही करने में गंभीर गलती की और प्रतिवादी-प्रतिवादियों को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में लिए गए दस्तावेजों के खंडन में साक्ष्य का नेतृत्व करने का अवसर नहीं दिया।

17. डिवीजन बेंच ने फिर से यह विचार रखने में गलती की कि मामले के तथ्यों में, आदेश 41 नियम 27 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति नहीं थी। जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त दस्तावेज़ न्याय के हित में आदेश 41 नियम 27 (बी) के तहत प्रदान किए गए रिकॉर्ड पर लिए जाने के लिए उत्तरदायी थे। लेकिन यह अभिनिर्धारित करना निश्चित रूप से सही था कि जिस तरह से विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपील का निपटारा किया, वह प्रतिवादी-प्रतिवादियों के लिए गंभीर पूर्वाग्रह का कारण बना। तथ्यों में और

इसलिए, मामले की परिस्थितियों में, खंड पीठ के लिए उचित मार्ग यह था कि विद्वत एकल न्यायाधीश के आदेश को बाधित किए बिना रद्द कर दिया जाए क्योंकि उसने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्रों के मूल प्रमाण पत्रों को रिकॉर्ड में ले लिया था और प्रतिवादी को अवसर देने के लिए मामले को रिमांड पर ले लिया था।

सबूत। विद्वान एकल न्यायाधीश प्रत्यर्थी को अनुमति दे सकता है प्रतिवादियों को आदेश 41 नियम 28 के तहत प्रदान किए गए किसी भी खंडन साक्ष्य का नेतृत्व करने या सीमित रिमांड करने के लिए। अखिलेश सिंह @अखिलेश्वर सिंह बनाम।

लाल बाबू सिंह और हमारा। [अशोक भूषण, जे।]

16. प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील का निवेदन कि वर्तमान अपीलार्थी द्वारा बिक्री विलेखों के निष्पादन से कभी इनकार नहीं किया गया था उच्च न्यायालय के समक्ष, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा बिक्री विलेख की सामग्री पर भरोसा करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भले ही, बिक्री विलेखों के निष्पादन से इनकार नहीं किया गया था, अपीलीय न्यायालय जिसके समक्ष बिक्री विलेखों में किसी भी बयान पर भरोसा किया जाता है, उसे खंडन में साक्ष्य देने या स्वीकारोक्ति की व्याख्या करने का अवसर देना चाहिए था। वर्तमान मामले के तथ्यों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पक्ष को बिक्री विलेखों में निहित स्वीकारोक्ति की व्याख्या करने का अवसर दिया जाना आवश्यक था। इस प्रकार हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने गलती की

अभिलेख पर अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करने के बाद अपील की सुनवाई के साथ-साथ आगे बढ़ना। उच्च न्यायालय को देना चाहिए था

प्रथम अपील में प्रतिवादियों को प्रतिवाद में साक्ष्य का नेतृत्व करने या बिक्री विलेख में निहित कथित स्वीकारोक्ति की व्याख्या करने का अवसर, जो नहीं किया गया है, उच्च न्यायालय के आदेश और निर्णय को रद्द करने के योग्य है। उच्च न्यायालय अब वर्तमान को अवसर देने के बाद अपील पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ सकता है।

प्रतिवाद में साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए अपीलार्थी। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील 1976 से लंबित है, हम उम्मीद करते हैं कि उच्च न्यायालय को छह महीने की अवधि के भीतर पूरी प्रक्रिया को तेजी से समाप्त करना चाहिए।

उच्च न्यायालय के समक्ष इस निर्णय को प्रस्तुत करने की तारीख से। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और यह उच्च न्यायालय पर है कि वह गुण-दोष पर पहली अपील पर नए सिरे से विचार करे और कानून के अनुसार निर्णय ले। नतीजतन, इस अपील की अनुमति दी जाती है, उच्च न्यायालय के फैसले और डिक्री को दरकिनार कर दिया जाता है। पहली अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा नए सिरे से निर्णय लिया जाना चाहिए जैसा कि ऊपर कहा गया है। दल अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

अपील की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी